

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 73-12/2012/20-3

भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय शिक्षण संस्था सरस्वती विद्यामंदिर उ.मा.आवासीय विद्यालय शास्ता विहार, केरवों बांध मार्ग, भोपाल, म.प्र. को सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को कक्षा 1 से 12 तक सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल (MOPRO) अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सचिव
शास्ता विहार जन कल्याण समिति, भोपाल

(बी.एस.डाबर)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अविम उ.मा. आवासीय विद्यालय
शास्ता विहार भोपाल

1 / 2 / 1

पू0क0 एफ क्रमांक एफ 73-12/2012/20-3

भोपाल,दिनांक 14.5.12

प्रतिलिपि :-

1- सचिव,अशासकीय शिक्षण संस्था,सरस्वती विद्यामंदिर समाजावासीय विद्यालय शारदा विहार,केरवों बांध मार्ग,भोपाल, म.प्र.को सीबीएस.ई. से सन्बद्धता मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- (1) संस्था सीबीएस.ई. के अनुकूल मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं,इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को पस्तुल आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का सलाहान किए जाने पर या प्राप्ता शिकायत जांच में सही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

- 2- आयुवत,लोक शिक्षण,भोपाल,म.प्र. ।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल,म0प्र0।
- 4- ऑर्डर बुक ।

[Signature]
14-5-12

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग
14.5.12

[Signature]
सचिव

शारदा विहार जन कल्याण समिति, भोपाल

आर.श्वारी
प्राचार्य

श.वि.म. उ.मा. आवासीय विद्यालय
शारदा विहार भोपाल